सेवा में,

1- समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर, बरेली

2- समस्त प्राचार्य / निदेशक / प्रबंधक / सचिव सम्बद्ध,
समस्त सम्बद्ध – राजकीय / संघटक / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

पत्रांक- RU/INT-01/06 /24 दिनांक 26/06/2024

विषय- मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना (उच्च शिक्षा) [(सीएम0ई0एच)एपीएस ] के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में योजना के सम्बन्ध में जागरूकता के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -1613/सत्तर-4-2023-231/2023, दिनांक 01-09-2023 के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि, शासनादेश के बिंदु संख्या 2 (iv) के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) [(सीएम0ई0एच)एपीएस ] को लोकप्रिय बनाने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों व शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के साथ मिलकर समस्त विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में इसके प्रचार- प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। इस विषय से सबंधित शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की ओर से एक पत्र (पत्रांक डिग्री विकास/528-29/2024-25 दिनांक 21-06-2024) भी प्राप्त हुआ है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि अपने संस्थान के समस्त विभागों के शिक्षक, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के मध्य इस योजना की सूचना विभिन्न माध्यमों से करने का कष्ट करें साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संभावित दिनांक 15 जुलाई 2024 को इस विषय पर शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के साथ एक कार्यक्रम/ बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें ।

भवदीय

26.6.24

(विमल कुमार)

संयोजक, प्रशिक्षु कार्यक्रम,

म. ज्यो. फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित
2. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय के संज्ञानार्थ
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र , बरेली
4. प्रभारी वेबसाईट